कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयोनोपरान्त श्रीमती ज्योति तिवाडी का पदस्थापन व्याख्याता इतिहास के पद पर आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/ नियुक्ति–इतिहास/ पीएससी–15/2017–18 दिनांक–23.06.2017 द्वारा राउमावि काशीपुरा, टोंक में किया गया। अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्व श्रीमती ज्योति तिवाडी ने माननीय उच्च नयायालय जयपुर में याचिका संख्या 15119/2018 दायर की। याची ने अपनी याचिका में कहा कि उसके पति शासन सचिवालय में अस्थानान्तरणीय सेवा के स्थाई कार्मिक है, अतः राजस्थान मंत्रालयिक सेवा नियम–1970 के प्रावधानुसार याची का पदस्थापन जयपुर में किया जाना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया, अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर याची के मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन काउसलिंग के द्वारा किया गया, जिसमें याची को उसकी वरियता के अनुसार पदस्थापन स्थान चयन करने का अवसर मिला, उसी क्रम में याची ने अपना पदस्थापन स्थान चयन किया एवं विकल्प पत्र प्रस्तुत किया। काउसलिंग के लिए रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की आवश्यकतानुसार किया जाता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरियता है। व्याख्याता का पद राज्यस्तरीय पद है, व्याख्याता का पदस्थापन राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 15119/2018/ज्योति तिवाडी/ दिनांक– 07/08/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि)जयपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर